

## प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज दिनांक-अप्रैल 28, 2019

- यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-  
जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **01 वाहन** को सीज किया गया तथा **74 वाहनों से मु0-11200/-**रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।
- पैदल गश्त अभियान:-पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भादवि में 24 व्यक्तियों** के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के द्वारा वांछित व गैर जमानतीय वारन्टीयों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस द्वारा **वांछित-04** अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय प्रेषित किया गया।
- शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-  
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल-05 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी** में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।
- अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-  
पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए **कुल-06 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 13 लीटर कच्ची शराब 540 शीशी नेपाली शराब व 01 अदद मोटर साईकिल की बरामदगी की गयी।** कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-
- थाना-कोतवाली द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त इन्द्रेश पुत्र ब्रम्हा साहनी निवासी जंगल फरजंदअली थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर

मु0अ0सं0-330/2019, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

- थाना-सोहगीबरवा द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त बिहारी पुत्र विन्देश्वरी मुसहर निवासी शिकारपुर थाना सोहगीबरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-04/2019, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना-बरगदवा द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र सीताराम साकिन सुकरहर थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 120 शीशी नेपाली शराब व 01 अदद मोटर साईकिल टीवीएस बरामद कर मु0अ0सं0-40/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना-नौतनवां द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्त हीरा गौड़ पुत्र पल्लू साकिन भैसहिया थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर मु0अ0सं0-121/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना-सोनौली द्वारा की गयी कार्यवाही-1.अभियुक्त संजय शर्मा पुत्र रामजीत साकिन लक्ष्मीनगर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 330 शीशी नेपाली शराब बरामद कर मु0अ0सं0-77/2019, 2.अभियुक्त अक्षय लाल मौर्य पुत्र रामबचन साकिन कुनसेरवा थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 60 शीशी नेपाली शराब बरामद कर मु0अ0सं0-78/2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- विवेचनाओं का निस्तारण-पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-17 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 27/28.04.2019 को विभिन्न अपराधों में कुल-16 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।